



2025:AHC:17044

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 16 सन् 2026

रोहित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	प्रेम चन्द्र द्विवेदी, विवेक कुमार
द्विवेदी		
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अंकित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता द्वारा अपनी पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने का संदेह आवेदक के विरुद्ध व्यक्त किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि घटना के दिन वह अपने पति से नाराज होकर स्वयं अपने घर से निकल गई और हरियाणा पहुँची। इस प्रकार उसने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने अभियोजन कथन को विकसित करते हुए कहा कि एक बार आवेदक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उस घटना का वीडियो क्लिप बना लिया तथा उसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल करता था और आवेदक उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हरियाणा ले गया। पीड़िता ने आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण से इनकार कर दिया तथा बाह्य परीक्षण में उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना दिनांक 05.05.2024 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 को, आठ दिन के अत्यधिक विलंब के बाद, बिना किसी युक्तिसंगत स्पष्टीकरण के दर्ज की गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के दोनों कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। ऐसे आरोप की सत्यता सिद्ध करने हेतु कोई वीडियो क्लिप अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह तर्क दिया गया है कि यह मिथ्या अभियोजन का मामला है तथा आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य एवं गलत मंशा से झूठे एवं निराधार आरोपों में फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा और न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 26.05.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की उदारता का अधिकारी नहीं है।

4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता तथा गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः आवेदक- रोहित, को मुकदमा अपराध संख्या 261 सन् 2024, अंतर्गत धाराएँ 366, 376, 328, 354, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना- सदर बाजार, जनपद- आगरा में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
 - (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत कर सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सके।
6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 22, 2026

मुस्तकीम